

## छात्र शिकायत निवारण समिति द्वारा शिकायतों के निवारण प्रक्रिया:-

- कोई भी पीड़ित छात्र शिकायत के निवारण के लिए एक सीधे/शिकायत पेटिका में आवेदन जमा कर सकता है।
- महाविद्यालय सीधे-शिकायत पेटिका से 15 दिनों के भीतर शिकायत को उपयुक्त विभागीय छात्र शिकायत निवारण समिति (डीएसजीआरसी) को अपनी टिप्पणियों के साथ संदर्भित करेगा।
- डीएसजीआरसी शिकायत की सुनवाई के लिए एक तारीख तय करेगा जिसे यूएसजीआरसी और पीड़ित छात्र को सूचित किया जाएगा।
- एक पीड़ित छात्र या तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकता है या एक प्रतिनिधि को मामला पेश करने के लिए अधिकृत कर सकता है(केवल विशेष परिस्थितियों में)।

### शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (जीआरसी)

- प्रकोष्ठ का कार्य किसी भी छात्र द्वारा दर्ज की गई शिकायतों को देखना और उसकी योग्यता को सूनिश्च करना है। शिकायत प्रकोष्ठ को उत्पीड़न के मामलों को देखने का भी अधिकार है। वास्तविक शिकायत वाला कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत/प्रतिनिधि के माध्यम से विभाग के सदस्यों से संपर्क कर सकता है। यदि व्यक्ति स्वयं उपस्थित होने का इच्छुक नहीं है, तो प्रशासिक ब्लाक में शिकायत प्रकोष्ठ के लेटरबाक्स/सुझाव पेटी में लिखित रूप में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

### उद्देश्य:-

शिकायत प्रकोष्ठ का उद्देश्य संस्थान में एक सामंजस्यपूर्ण शैक्षिक वातावरण बनाए रखने के लिए सभी हितधारकों के बीच एक उत्तरदायी और जवाबदेह रवैया विकसित करना है। महाविद्यालय के छात्रों द्वारा बताई गई समस्याओं के निवारण के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एक शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया जाना चाहिए:

### नीतियां:-

1 सौहार्दपूर्ण छात्र-छात्र संबंध आदि को बढ़ावा देकर कालेज में संघर्ष मुक्त वातावरण सुनिश्चित करके कालेज की गरिमा को बनाए रखना।

2 पीड़ित होने के ऊर के बिना छात्रों को अपनी शिकायतों /समस्याओं को स्वतंत्र रूप से और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।

3 प्रशासिक ब्लॉक के सामने सुझाव/शिकायत पेटी लगाई गई है जिसमें छात्र-छात्राएं जो गुमनाम रहना चाहते हैं, कालेज में शिक्षा/प्रशासन में सुधार के लिए अपनी शिकायतें और अपने सुझाव लिखित देना।

4 कालेज के छात्रों को एक –दूसरे के अधिकार और सम्मान करने की सलाह देना और जब भी कोई दरार पैदा होती हे तो अत्यधिक संयम और धैर्य रखना।

5 सभी कर्मचारी को छात्रों के प्रति रनेही होने और किसी भी कारण से उनमें से किसी के प्रति प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार न करना।